1. उमेदीलाल पुत्र श्री भगवत प्रसाद जाति

1/1 राजेन्द्र पुत्र उम्मेदीलाल जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)(मृतक)

1/1 त्रिवेणी देवी पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर (भरतपुर)

1/2 भूपेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/3 कुंवर किशोर पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/4 गिरधर पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/5 सुनीता पुत्री राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/6 फूलवती पुत्री राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/7 सीमा पुत्री राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भुसावर (भरतपुर)

—वादीगण

बनाम

1. शिवचरण पुत्र भगवत प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी भुसावर तहसील भुसावर(मृतक) व मिश्री देवी पत्नि शिवचरण(मृतक)

1/1 देवीसहाय पुत्र शिवचरण जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/2 कुंजी पुत्र शिवचरण जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/3 पूरन पुत्र शिवचरण जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/4 विद्या पुत्री शिवचरण जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

1/5 गीता पुत्री शिवचरण जाति ब्राहमण निवासी भुसावर(भरतपुर)

2. धर्मसिंह पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी नगलासीर भुसावर
3. लाला राम पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी नगलासीर भुसावर
4. तहसीलदार भुसावर

— प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन,डिवीजन ऑफ होल्डिंग व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 53 व 188 RTA राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित —श्री शांतिस्वरूप शर्मा वादीगण अधिवक्ता
श्री महेश चंद मीना प्रतिवादी सं. 2,3 अधिवक्ता

<u>निर्णय दिनांक 15.12.2022</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अंतर्गत धारा 88 ,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 माननीय न्यायालय सहायक कलैक्टर वैर द्वारा दिनांक 14.09.2001 को प्रारम्भिक
डिक्री किया कि आ0ख0न0 1293 रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा, आ0ख0न0 1492 रकवा 7 बीघा 05
बिस्वा, आ0ख0न0 1493 रकवा 8 बीघा 08 बिस्वा , आ0ख0न0 1268 रकवा 1 बीघा 03 बिस्वा,
आ0ख0न0 1376 रकबा 0.12 बिस्वा, आ0ख0न0 1391 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0न0 2366
रकवा 8 बीघा, आ0ख0न0 2367 रकवा 06 बिस्वा, आ0ख0न0 2411 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल
किता 9 रकवा 37 बीघा 10 बिस्वा में वादीगण निस्फ भाग का व ख0न0 1293 रकवा 4बीघा 03
बिस्वा, आ0ख0न0 1492 रकवा 7 बीघा 5 बिस्वा, आ0ख0न0 1493 रकवा 8 बीघा 08 बिस्वा
आ0ख0न0 1268 रकवा 1बीघा 3 बिस्वा, आ0ख0न0 1367 रकवा 12 बिस्वा, आ0ख0न0 1391 रकवा
3 बीघा 2 बिस्वा किता 6 रकवा 24 बीघा 13 बिस्वा में प्रतिवादी शिवचरण निस्फ भाग का व ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

ाय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ...
ा 345/01 उनवान शिवचरण बनाम राजेन्द्र की गई। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा उक्त अपील दिनांक 26.09.2017 को अदम हाजरी एवं ा पैरवी में खारिज कर दी गई।

उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर विचाराधीन रहा था। न्यायालय ख़ण्ड अधिकारी भुसावर अलग होने की वजह से वहां से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा में त होने पर दिनांक 27.12.18 को पुनः दायर किया गया। चूंकि न्यायालय श्रीमान सहायक क्टर वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2001 के विरूद्ध दायर अपील माननीय S.O & RAA पुर के न्यायालय में विचाराधीन दिनांक 26.09.2017 को खारिज हो जाने पर माननीय न्यायालय यक कलैक्टर वैर का निर्णय व डिक्री 14.09.2001 ही प्रभावी रहने के कारण दिनांक 18.03.19 न्यायालय हाजा द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलैक्टर वैर की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14. 01 की पालना में इस कार्यालय को पत्रांक/कोर्ट/2019/701 दिनांक 22.03.19 को कुरेजात र्ट मंगवाए जाने बावत् तहसीलदार भुसावर को लिखा गया उक्त आदेश की पालना में कुरेजात र्ट उनके पत्रांक /LR /19/2844 दिनांक 12.09.19 से भिजवाई गई जो दिनांक 16.10.19 को मेल पत्रावली की गई।

प्रकरण में वादीगण की ओर से पैरवी हेतु वकालतनामा श्री शांतिस्वरूप शर्मा प्रतिवादीगण ओर से श्री महेश चंद मीना द्वारा प्रस्तुत किए जाए। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.04.22 को ी राजेन्द्र का स्वर्गवास होने पर आदेश 22 नियम 3 जा.दी. स्वीकार होने पर स्वीकार किया गया रण लम्बे समय से विचाराधीन हाने पर तथा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व ील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 22.04.1982 से रिसीवरी रखी है वह रिसीवरी से ुजार की गई।

न्यायालय हाजा में दिनांक 12.09.19 को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पटवार मण्डल भुसावर प्रथम ाकि विवादित आराजी भुसावर प्रथम व भुसावर द्वितीय में होने के कारण तहसीलदार भुसावर को ावर द्वितीय की कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने बावत् निर्देशित किया गया उक्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक .11.22 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। तथा दिनांक 24.04.22 को आदेश 22 नियम व 4 पेश होने प्रतिवादीगण एडवोकेट द्वारा अनापत्ति किया गया तथा संशोधित टाइटल पेश किया ा जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। उभयपक्ष धिवक्तागण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 24.06.19 व दिनांक 13.10.22 पर कोई आपत्ति नहीं की ई तथा उन्होंने अन्तिम डिक्री जारी करने बावत् सहमति जताई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया पत्रावली का पुनः' गहन परिक्षण किया
ा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्तावों के
ार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है
विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1830 दिनांक 24.06.19 व क्रमांक 5066 दिनांक 13.10.22 के अनुसार
गण एवं प्रतिवादीगण(1लगायत 3) खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। विभाजन प्रस्ताव
ा के भाग रहेगें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)